(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1120—तीन/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—03—2000 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 277/1994—95/अपील

.....

1— मुस0 मिथलादेवी पत्नी स्व. श्री केसरीगिरि

2— रामजीगिरि

3— दशरथगिरि, पुत्रगण स्व. श्री केसरीगिरि

निवासीगण—ग्राम फेफरामढ़ी, तहसील—मिहोना

जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— अजयपालसिंह

2— कृष्णापालसिंह

3— राजपालसिंह, पुत्रगण राजेन्द्र सिंह

4— सोनपालसिंह अवयस्क पुत्र राजेन्द्रसिंह संरक्षक

भाई अजयपालसिंह ठाकुर

निवासीगण— ग्राम जैतपुरामढ़ी, तहसील— मिहोना

जिला—भिण्ड (म0प्र0)

5— शम्भूगिरि

6— हरिगिरि

7— भुलूगिरि

8— प्रभूगिरि, पुत्रगण बच्चूगिरि उर्फ सुन्दरगिरि

निवासीगण— ग्राम जैतपुरामढ़ी हाल निवासीगण— ग्राम रमटा

तहसील—स्योढा, जिला— दतिया (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 से 4

.....

आदेश

(आज दिनांक 9.11.16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील मिहोना के ग्राम जैतपुरागढ़ी में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 50 रकबा 11.226 है0 में से भाग 1115 के रकबा 0.746 है0 पर विक्रय पत्र दिनांक 26.04.88 के आधार पर आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अभिलिखित भूमिस्वामी के स्थान पर नामान्तरण किये जाने बावत पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश दिनांक 15.05.88 को अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के नाम नामांतरण प्रमाणित किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 15.05.88 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.88 से राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.88 को निरस्त करते हुये प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.88 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा स्वीकार करते हुये, राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित नामांतरण आदेश स्थिर रखा जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.88 को रिव्यु कराने वावत आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 16.05.88 को तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार मिहोना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.89 से विवादित भूमि पर आवेदकगण के नाम नामांतरण का आदेश पारित किया

था। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा पुनः न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष अपील मय अवधि विधान की आवेदन प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा प्रकरण 48/89–90/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 06.07.95 द्वारा अस्वीकार की गई । उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 277/94–95/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 31.03.2000 द्वारा दोनों निचले न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 16 दिनांक 27.04.88 में पारित आदेश दिनांक 15.05.88 स्थिर रखा है। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों तथा कार्यवाही पर विचार किये बिना विवादित आदेश पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है। अनावेदक क्र0 1 से 4 के हित में पूर्व भूमिस्वामी द्वारा तथाकथित रूप से निष्पादित विक्रय–पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक ने विक्रेता तथा अन्य हितधारियों को सूचना दिये बिना तथा उद्घोषणा तथा मुनादी कराये बगैर अवैध नामांतरण किया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में निरस्त कर प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसील न्यायालय ने प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता नहीं की थी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.88 का पालन तहसील द्वारा दिनांक 02.08.89 को कर दिया गया था । उक्त दिनांक तक कलेक्टर न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की कोई जानकारी अथवा सूचना तहसीलदार को नहीं थी और न ही कलेक्टर द्वारा कोई स्थगन दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन हो जाने से कलेक्टर के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण व्यर्थ हो चुका था। ऐसे पुनरीक्षण में क्रियान्वयन के पश्चात पारित आदेश से तहसील आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तहसील न्यायालय के आदेश को पढ़ने से स्पष्ट है कि वह अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में किया गया था। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन में लिखी गई धारा से आदेश के गुण–दोषों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने उपरोक्त बिन्दुओं

जो निष्कर्ष निकाले है वे न्यायोचित नहीं है। व्यवहार वाद में पारित अन्तरिम आदेश से आवेदकगण के स्वत्व प्रभावित नहीं होते है। राजस्व न्यायालया को स्वत्व के आधार पर नामांरतण करने का विचाराधिकार है । तहसील न्यायालय का आदेश संहिता द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत ही पारित किया गया है। राजस्व न्यायालयों को संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत निर्मित नियमों का पालन करते हुये नामांरतण करने का विचाराधिकार विधि द्वारा दिया गया है । राजस्व न्यायालय व्यवहार वाद के लम्बित होने से कार्यवाही रोकने के लिये बाध्य नहीं है। अपर कलेक्टर ने व्यवहार वाद के निराकरण तक नामांतरण कार्यवाही रोकने का जो निर्देश दिया था वह पूर्णतः विधि के विपरीत था, जिस पर इस पुनरीक्षण में संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है। अतः ऐसे आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक क्र0 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया । अनावेदक क्र0 5 से 8 तक को सूचना दी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। उभय पक्ष चाहे तो अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण आदेश दिनांक 15.05.88 को अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के नाम नामांतरण प्रमाणित किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 15.05.88 के विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.88 से राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.88 को निरस्त करते हुये प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.88 के विरूद्व अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा स्वीकार करते हुये, राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित नामांतरण आदेश स्थिर रखा जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा

पारित आदेश दिनांक 15.05.88 को रिव्यु कराने बाबत आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 16.05.88 को तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार गिहोना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.89 से विवादित भूमि पर आवेदकगण के नाम नामांतरण का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा पुनः न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष अपील मय अवधि विधान की आवेदन प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा प्रकरण 48/89--90/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 06.07.95 द्वारा अस्वीकार की गई । उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 277/94--95/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 31.03.2000 द्वारा दोनों निचले न्यायालय तहसीलदार एवं अनुविभागीय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये अपर कलेक्टर, भिण्ड के आदेश को विधिसंगत माना है तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 16 दिनांक 27.04.88 में पारित आदेश दिनांक 15.05.88 स्थिर रखा है। मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के इस आदेश अथवा निष्कर्ष से सहमत हूँ । क्योंकि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत है । अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.95 से विवादित भूमि पर राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 15.05.88 स्थिर रखा गया है, जिसे आवेदकगण द्वारा किसी वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश अंतिम हो जाता है। अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। व्यवहार न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा, राजस्व न्यायालय द्वारा उसका पालन किया जावेगा ।

6/ अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण की पूर्ण विवेचना करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि अपर कलेक्टर, भिण्ड के न्यायालय में निगरानी लंबित थी तो तहसीलदार को यह अधिकार नहीं था कि उन्हीं पक्षकारों के विवादित मामले का निराकरण करें । प्रथम अपीलीय न्यायालय का भी यह दायित्व था कि आदेश पारित करने से पूर्व इस बिन्दू पर विचार किया जाता । इसी स्तर पर अपर आयुक्त ने दोनों निचले न्यायालयों तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण मानत

हुये निरस्त किया है। मेरे मतानुसार अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है।

7/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश 31.03.2000 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर